फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

पंजाब नेशनल बैंक, मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन, सब सिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड, उदयपुर, राजस्थान

— प्रार्थी

बनाम

(1) मैसर्स करणी मार्बल एण्ड ग्रेनाईट्स, आराजी नं. 305/58 एवं 306/58 मोहन नगर गावँ पाण्डोलाई, पोस्ट ऑफीस मोही तहसील व जिला राजसमन्द 313324

— ऋणी

(2) श्री प्रणवीर सिंह भाटी पुत्र श्री प्रेम सिंह 2, मोहन नगर गावँ पाण्डोलाई, पोस्ट ऑफीस मोही तहसील व जिला राजसमन्द 313324

— पार्टनर एवं जमानतदार

(3) श्री पृथ्वीराज सिंह भाटी पुत्र श्री प्रेम सिंह 2, मोहन नगर गावँ पाण्डोलाई,पोस्ट ऑफीस मोही तहसील व जिला राजसमन्द 313324

— पार्टनर एवं जमानतदार

— अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा — प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 38/2024**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.04.2025 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, उदयपुर ने दिनांक 06.09.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये खाता ऋण करार संख्या 3566008700005749, के द्वारा 90.00 लाख रूपये, ऋण करार संख्या 356600IB00001352, के द्वारा 125.00 लाख रूपये ऋण करार संख्या 356600IL00000353, 16.00 एवं ऋण करार संख्या 356600EG00000051, 22.00 लाख रूपये, कुल रूपये 253.00 लाख का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्तियां — (1) फर्म की संपुर्ण चालू परिसंपत्तियों पर दृष्टिबंधक जिसमें कच्चे माल का स्टॉक, एसआईपी, तैयार माल, पैकिंग सामग्री, वास्तविक व्यापार लेन देन से उत्पन्न बुक डेब्ट्स और समय—समय पर बैंक को स्वीकार्य ऐसी अन्य सुरक्षा शामिल हैं। (2) फर्म के प्लांट और मशीनरी का दृष्टिबंधक। (3) श्री पृथ्वीराज सिंह भाटी पुत्र श्री प्रेम सिंह भाटी के नाम साम्यिक बंधक फैक्ट्री भूमि एवं भवन जो आराजी नं. 305/58, मोहन नगर गावँ पाण्डोलाई, पोस्ट ऑफीस, मोही तहसील व जिला राजसमन्द राजस्थान पर स्थित हैं। श्री प्रणवीर सिंह	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भाटी पुत्र श्री प्रेम सिंह भाटी के नाम साम्यिक बंधक फैक्ट्री भूमि एवं भवन जो आराजी नं. 306/58, मोहन नगर गावँ पाण्डोलाई, पोस्ट ऑफीस, मोही तहसील व जिला राजसमन्द राजस्थान पर स्थित हैं। दोनो का क्षैत्रफल 13068 वर्गफीट हैं। जिसकी सीमाएं :– उत्तर – आराजी नं. 302/58 की शेष भूमि, दक्षिण – आराजी नं. 60 की भूमि, पूर्व – आराजी नं. 61 की भूमि, पश्चिम – आराजी नं. 302/58 की शेष भूमि को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 29.04.2024 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणी के ऋण खाता संख्या 3566008700005749 में बकाया रूपये 92,11,939.00, अक्षरे बरानवे लाख ग्यारह हजार नौ सौ उनचालिस, ऋण खाता संख्या 356600IB00001352 में बकाया रूपये 83,37,027.42 अक्षरे तरियासी लाख सैंतीस हजार सताईस एवं पैसे बयालिस मात्र, 356600IL00000353 में बकाया रूपये 4,61,242.08 अक्षरे चार लाख इकसठ हजार दो सौ बियालिस पैसे आठ मात्र एवं ऋण खाता संख्या 356600EG00000051 में बकाया रूपये 22,69,766.00, बाईस लाख उनसतर हजार सात सौ छासठ मात्र, कुल रूपये 2,02,79,974.50 अक्षरे दो करोड दो लाख उनयासी हजार नो सौ चौहतर एवं पैसे पचास मात्र बकाया रकम व ब्याज दिनांक 30.04.2024 तक शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 07.05.2024 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये जो कि उन्हें प्राप्त हो गये। परंतु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्तियां रहन रखी है। उसका प्रार्थी बैंक में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है:–

(1) फर्म की संपुर्ण चालू परिसंपत्तियों पर दृष्टिबंधक जिसमें कच्चे माल का स्टॉक, एसआईपी, तैयार माल, पैकिंग सामग्री, वास्तविक व्यापार लेन देन से उत्पन्न बुक डेब्ट्स और समय–समय पर बैंक को स्वीकार्य ऐसी अन्य सुरक्षा शामिल हैं।

(2) फर्म के प्लांट और मशीनरी का दृष्टिबंधक।

(3) श्री पृथ्वीराज सिंह भाटी पुत्र श्री प्रेम सिंह भाटी के नाम साम्यिक बंधक फैक्ट्री भूमि एवं भवन जो आराजी नं. 305/58, मोहन नगर गावँ पाण्डोलाई, पोस्ट ऑफीस, मोही तहसील व जिला राजसमन्द राजस्थान पर स्थित हैं। श्री प्रणवीर सिंह भाटी पुत्र श्री प्रेम सिंह भाटी के नाम साम्यिक बंधक फैक्ट्री भूमि एवं भवन जो आराजी नं. 306/58, मोहन नगर गावँ पाण्डोलाई, पोस्ट ऑफीस, मोही तहसील व जिला राजसमन्द राजस्थान पर स्थित हैं। दोनो का क्षैत्रफल 13068 वर्गफीट हैं। जिसकी सीमाएं :– उत्तर – आराजी नं. 302/58 की शेष भूमि, दक्षिण – आराजी नं. 60 की भूमि, पूर्व – आराजी नं. 61 की भूमि, पश्चिम – आराजी नं. 302/58 की शेष भूमि। प्रार्थी बैंक उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 07.05.2024 को जारी किया गया था! उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं अखबार प्रकाशन की प्रति पेश की गयी। उसके बावजुद भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी बंधक सम्पति का विवरण (1) फर्म की संपुर्ण चालू परिसंपत्तियों पर दृष्टिबंधक जिसमें कच्चे माल का स्टॉक, एसआईपी, तैयार माल, पैकिंग सामग्री, वास्तविक व्यापार लेन देन से उत्पन्न बुक डेब्ट्स और समय-समय पर बैंक को स्वीकार्य ऐसी अन्य सुरक्षा शामिल हैं। (2) फर्म के प्लांट और मशीनरी का दृष्टिबंधक। (3) श्री पृथ्वीराज सिंह भाटी पुत्र श्री प्रेम सिंह भाटी के नाम साम्यिक बंधक फैक्ट्री भूमि एवं भवन जो आराजी नं. 305/58, मोहन नगर गावॅ पाण्डोलाई, पोस्ट ऑफीस, मोही तहसील व जिला राजसमन्द राजस्थान पर स्थित हैं। श्री प्रणवीर सिंह भाटी पुत्र श्री प्रेम सिंह भाटी के नाम साम्यिक बंधक फैक्ट्री भूमि एवं भवन जो आराजी नं. 306/58, मोहन नगर गावॅ पाण्डोलाई, पोस्ट ऑफीस, मोही तहसील व जिला राजसमन्द राजस्थान पर स्थित हैं। दोनो का क्षैत्रफल 13068 वर्गफीट हैं। जिसकी सीमाएं :- उत्तर - आराजी नं. 302/58 की शेष भूमि, दक्षिण - आराजी नं. 60 की भूमि, पूर्व - आराजी नं. 61 की भूमि, पश्चिम - आराजी नं. 302/58 की शेष भूमि है।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, उदयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8/4/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)